सत्यमेव जयते

संख्या– — /जी0एस0/शिक्षा/A4-176/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

17 AUG 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : ~~जुलाई,~~ 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–3196, दिनांक 05–03–2020 एवं पत्र संख्या–3197, दिनांक 05–03–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– तत्क्रम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति, उ0त0वि0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान की गयी है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
कॉलेज ऑफ फार्मेसी रूड़की, 05 किमी०, रूड़की–हरिद्वार रोड़, कैनाल रोड़, ग्राम–बाजुहेड़ी, रूड़की, जनपद–हरिद्वार	बी0फार्मेसी	60	2019–20

(1) विश्वविद्यालय, संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के दृष्टिगत कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों एवं आवश्यक मानकों के पूर्ण होने की दशा में उक्त सत्र की अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

(2) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से प्राप्त हो रहे पत्रों में विश्वविद्यालय का नाम "वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून" अंकित किया जा रहा है। जब तक विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होने के सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक विश्वविद्यालय को पूर्व नाम से सम्बोधित किया जाये व संस्थानों को अस्थाई सम्बद्धता भी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से प्रदान की जाये, ताकि छात्रों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या– 1104(1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-176/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।